


10/11/22

4
पगावली पेशा अधिवक्ता पदाकारा न उप-।
आप उभयपक्षा की बैठक हुई। पगावली
स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाये
दिनांक 18.11.2022 को पाली आ नवीय स्थिति
आदेश आता फैलता बढ़ाया जाके
पगावली फैलती जाती है पगावली फैल
शुभ्रा होकर दर्ज नम्बर से कम की जाके
दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) विवदा